उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र में 1200 मेगावाट के पंप स्टोरेज पावर प्लांट को दिया सैद्धांतिक अनुमोदन

- ***टीएचडीसी इंडिया 6600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी***
- ***इन्वेस्ट यूपी को पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया***
- ***पीएसपी परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई***
- ***पीएसपी परियोजनाओं के लिए संभावित क्षेत्रों की खोज के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी***

लखनऊ, 28 जुलाई 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज तहसील में टीएचडीसी इंडिया की 1200 मेगावाट की पंप स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान की है। परियोजना की अनुमानित लागत 6600 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से प्रतिदिन 6 घंटे 36 मिनट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है।

टीएचडीसी इंडिया द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, यह एक ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप पंप स्टोरेज परियोजना है। परियोजना के लिए 300.55 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। परियोजना के संचालन के लिए जलाशय के प्रारंभिक भरने में सालाना 15.031 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी एवं वाष्पीकरण से होने वाली हानि के कारण 1.7112 एमसीएम पानी की आवश्यकता होगी। जलापूर्ति का स्रोत सोन नदी होगी।

मुख्य सचिव तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह ने कहा, "यह परियोजना उत्तर प्रदेश में विद्युत अवसंरचना को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा स्थायी ऊर्जा समाधानों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी टीएचडीसी इंडिया की भागीदारी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन को सुनिश्चित करती है।"

उत्तर प्रदेश में पंप स्टोरेज पावर (पीएसपी) परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन देने के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आईआईडीसी की अध्यक्षता में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ को मेंबर सेक्रेटरी बनाकर एक समिति बनाई गई है। इस समिति में ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, सिंचाई विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग एवं केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

परियोजना के प्रस्तावित स्थान के जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। परियोजना प्रस्तावक अपने प्रस्ताव इन्वेस्ट यूपी को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें फिर समीक्षा के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष अपनी परियोजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी देते हैं, जिसके आधार पर समिति द्वारा परियोजना को सैद्धांतिक अनुमोदन दी जाती है।

राज्य सरकार सोन नदी से आवश्यक जल के आवंटन और पुनः भरने के प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार होगी। जल निकासी की अनुमति केवल बाढ़ अवधि के दौरान दी जाएगी और इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों के सिंचाई विभागों से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

राज्य सरकार सोन नदी से आवश्यक जल के आवंटन और पुनः भरने के प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार होगी। जल निकासी की अनुमति केवल बाढ़ अवधि के दौरान दी जाएगी और इसके लिए राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों के सिंचाई विभागों से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। परियोजना का विकास भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अधीन होगा।"वॉटर बैटरी" के नाम से प्रचलित यह पीएसपी परियोजनाएँ उत्तर प्रदेश में स्थायी हरित ऊर्जा अवसंरचना के स्तंभ बनने के लिए अग्रसर हैं। राज्य सरकार इन परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत प्रोत्साहन देती है, जिसमें 30% पूंजी सब्सिडी एवं 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट का प्रावधान है।

अब तक, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 पीएसपी संयंत्रों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान की है। इनमें से 8 परियोजनाएँ सोनभद्र में होंगी ,जबकि चंदौली एवं मिर्जापुर जिलों में एक-एक संयंत्र स्थापित होगा। सोनभद्र में स्थापित परियोजनाओं से सामूहिक रूप से 14,450 मेगावाट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है, जबकि मिर्जापुर तथा चंदौली में स्थापित परियोजनाएँ क्रमशः 900 मेगावाट तथा 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगी । राज्य में पीएसपी परियोजनाओं से सम्बंधित भविष्य की संभावनाओं का पता लगाने हेतु, इन्वेस्ट यूपी ने परामर्श अध्ययन के लिए टेंडर के ज़रिये निविदा आमंत्रित करेगी। कंसल्टेंसी फर्म द्वारा किए गए अध्ययन से पीएसपी परियोजनाओं की भविष्य की संभावनाओं का आंकलन किया जाएगा, विशेष रूप से चित्रकूट, झांसी, वाराणसी एवं विंध्याचल जैसे प्राकृतिक ढाल वाले क्षेत्रों में।